भारत सरकार
भारी उद्‌योग और लोक उद्‌यम मंत्रालय
भारी उद्‌योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 534
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 27 नवंबर, 2014 को दिया जाना है

अनुसाचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति

534. श्री जुगुल किशोर:

क्या भारी उद्‌योग और लोक उद्‌यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेश में इस मंत्रालय में विभिन्न पदों में कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर भर्ती की जाएगी और कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्‌वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस मंत्रालय में सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्‌योग और लोक उद्‌यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। आज की तारीख में भारी उद्‌योग और लोक उद्‌यम मंत्रालय में 04 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कमी है।

(ख): भारी उद्‌योग और लोक उद्‌यम मंत्रालय का राज्य स्तर पर कोई कार्यालय नहीं है।

(ग) और (घ): भारी उद्‌योग विभाग ने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया है।

****